

क्षेत्रीय कार्यालय: बलदेव निवास कम्पाउण्ड, रीडगज, फैजाबाद - 224001

अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक नीलामी/बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों की प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) (सरकारी अधिनियम, 2002) साथ में पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 6(2) और/या नियम 8(6) के अधीन नीलामी सूचना

जैसाकि, उक्त कथित सरपरेसी अधिनियम, 2020 की धारा 13(2) के अधीन और कथित अधिनियम की धारा 13(2) साथ में पठित नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बड़ौदा यू.पी. बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक मांग सूचना जारी की जिसमें तथा कर्जदार(रों) और बंधकदाता(ओं) को कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर कथित सूचना के अनुसार राशि का भुगतान करने को कहा गया। और जैसाकि, कर्जदार(रों) /गारंटीदाता(ओं) ने राशि का भुगतान नहीं किया और अतः अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की धारा 13(4) साथ में पठित नियमों के नियम 4 और/या नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पत्ति/संपत्तियों (इसके बाहर कथित सम्पत्तियों नाम पर निर्दिष्ट) का कब्जा ले लिया है और जैसा कि अधोहस्ताक्षरी, सरपरेसी अधिनियम, 2020 की धारा 13(4) (ए) के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में, कथित सम्पत्तियों की विक्री बड़ा बैंकों के बकायों की वसूली का प्रतीक रखते हैं। एतद्वारा जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटीदाता(ओं)/बंधकदाता(ओं) को सूचना दी जाती है कि निम्ववर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदारों के पास बंधक/प्राप्तिरित पड़ी है, जिसका चर्चान्तक/भौतिक/साकृतिक अधिकारण प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. बैंक, प्रतिभूत लेनदार द्वारा ले लिया गया है, जिसे निम्नांकित बकायों की वसूली हेतु, निम्नांकित सारणी में अंकित गणना तिथि को “जैसा है जैसा है”, “जैसा है जो है” और “जो भी है वही है” आधार पर बेचा जाएगा। जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटीदाता(ओं) /बंधकदाता(ओं) को एतद्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राप्ति अधिकारी ने सरपरेसी अधिनियम, 2020 के अधीन निम्नांकित अचल सम्पत्तियों के लिए बोली/निवाला/कोटेश्वर-कोटेश्वर यू.पी. बैंक, शाखा अकबरपुर, अम्बेडकर नगर में साथ्य 3.00 बजे मुहरबद्द लिफाफे में निम्नांकित नियम व शर्तों का पूरा करके, अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। निवाला दिनांक 27.04.2021 बड़ौदा यू.पी. बैंक, शाखा अकबरपुर, अम्बेडकर नगर में 03. 00 बजे को खोली जाएगी।

बोली क्रम सं.	कर्जदार/बंधकदाता का नाम	सम्पत्ति का विवरण/स्वामी का नाम	(क) मांग सूचना तिथि (ख) अधिग्रहण तिथि (ग) अधिग्रहण स्वरूप सांकेतिक/भौतिक	बकाया राशि (रु.)	आरक्षित मूल्य/ईएसडी (रु.)
---------------	-------------------------	---------------------------------	---	------------------	---------------------------

शाखा- अकबरपुर, जनपद-अम्बेडकर नगर

अकबरपुर	मैसर्स निरंकार ट्रे डर्स, प्रो.- निरंकार पाण्डेय सुपुत्र राम सहाय पाण्डेय (कर्जदाता)	1. सामिक्य बंधक जमीन व भवन प्लॉट नं. 964, 0,019 हेक्टर, बिक्री विलेख नं. 4586/2008, दिनांक 30.12.2008, गांव- गौसपुर, परगाना व तहसील-अकबरपुर, अब्देकर नगर में स्थित। पूर्व- सुशीला पाण्डेय का मकान, पश्चिम- रोड, अकबरपुर, उत्तर- घनस्थाम की जमीन, दक्षिण- दयाराम व अय्य का खेत। 2. आवासीय प्लॉट नं. 336 का बंधक, बिक्री विलेख नं. 518/2010, दिनांक 21.01.2010, गांव- मोहरिसिंहपुर, मंसूपुर, परगाना व तहसील- अकबरपुर, अब्देकर नगर में स्थित। पूर्व- अच्छेलाल की जमीन, पश्चिम- श्री राम यादव व अय्य का मकान उत्तर- चन्द्रकांत का मकान, दक्षिण- गली नगर पालिका।	(क) 10.11.2020 (ख) 13.01.2021 (ग) सांकेतिक कब्जा	20,39,800/- + 11.11.2020 से चार्ज व्याज + अन्य प्रभार व खर्चे (मांग सूचना के बाद जमा राशि घटाये)	नं. 1 25,55,000.00 2,55,500.00
	1. श्रीमती सावित्री पाण्डेय धर्मपत्नी निरंकार पाण्डेय (बंधकदात्री) 2. श्री निरंकार पाण्डेय सुपुत्र राम सहाय पाण्डेय (बंधकदाता) अधिकारी पाण्डेय, सुपुत्र निरंकार पाण्डेय उत्तराधिकारी	2. आवासीय प्लॉट नं. 336 का बंधक, बिक्री विलेख नं. 518/2010, दिनांक 21.01.2010, गांव- मोहरिसिंहपुर, मंसूपुर, परगाना व तहसील- अकबरपुर, अब्देकर नगर में स्थित। पूर्व- अच्छेलाल की जमीन, पश्चिम- श्री राम यादव व अय्य का मकान उत्तर- चन्द्रकांत का मकान, दक्षिण- गली नगर पालिका।	(क) 10.11.2020 (ख) 13.01.2021 (ग) सांकेतिक कब्जा	20,39,800/- + 11.11.2020 से चार्ज व्याज + अन्य प्रभार व खर्चे (मांग सूचना के बाद जमा राशि घटाये)	नं. 2 10,44,800.00 1,04,480.00

मो8 नं०- 8874206540

बिक्री के नियम एवं शर्तें: 1. इच्छुक बोलीदाताओं को मुहरबंद लिफाको में अपनी बोली जमा करनी है। (लिफाको के ऊपर स्पष्टतः और पठनीय बोली क्रम सं. एवं प्रकाशन की तिथि वर्गित होनी चाहिए) 2. बोलीदाताओं को बोली के साथ अग्रिम में अकबरपुर में देवयाण एवं 'प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. बैंक' के पश्च में ढीड़ी/बैंकस चेक के रूप में जमा धोरेहर राशि के रूप में अधिकृत मूल्य का 10% जमा/संलग्न करना होगा। सर्वोच्च बोली मूल्य (अरक्षित मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए) को सफल बोलीदाता के रूप में माना जाएगा और शेष असफल बोलीदाताओं की ईंटेडी एक सपाता के अन्दर लिखित किसी व्याज के वापसी कर दी जाएगी। 3. सफल बोलीदातों को ढीड़ी/बैंकस चेक के रूप में अलग दिन बोली रकम (ईंटेडी को छोड़कर) का 15% जमा करना होगा और शेष अनिवार्य रूप से बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के अंदर जमा करना होगा, अगर वे देवा नहीं करते हैं तो उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी रकम जमाकर ली जाएगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी बिना कारण बताये वा पूर्व सूचना दिए बोली/सर्वोच्च बोली को स्वीकार/धरा/निर्विवत करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। प्राधिकृत अधिकारी बिलोग/प्रभारो/देवराटियों/भारा/कर्नातक के दर्वांव व बकायों के लिए जावाबदार नहीं होगे। 5. सम्पत्ति को अरक्षित मूल्य से कम में किसी भी रकम पर बेचा नहीं जाएगा। सफल बोलीदाता को सभी स्पार्ट डर्लीज एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। 6. यदि ऐसा हो जाएगा कि दो अधिक बोलीदाताओं एक समान बोली रकम है तो प्राधिकृत अधिकारी उनके मध्य पुनः नवी बोली आमंत्रण करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 7. बोली/बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो कुछ है" और "वहाँ जो कुछ भी है" आधार पर बेचा जा रहा है। 9. अगर कोई कर्जदार/गारंटीदाता/बंधकरता नीलामी से पहले बैंक को पूर्ण बकाये का भुगतान कर देता है तो नीलामी को रोक दिया जाएगा। हालातिंग कर्जदार/गारंटीदाता/बंधकरता के पास नीलामी से पूर्व प्रतिभूत आस्तियों को निर्भय करने का अवसर होगा जो प्रतिभूति दित प्रवर्तन नियमों, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (8)(प्रतिभूति दित (प्रवर्तन) संशोधन नियमों, 2002 द्वारा) के अधीन बकाया पूर्ण राशि एवं प्रभारों के भुगतान के अधीन होगा। 10. वह बोलीदाताओं की एकमात्र जिम्मेदारी है कि वे सम्पत्तियों के संधर्म में संतुष्ट एवं पुण्य हो लें। वे अप. 2.00 बजे से सार्व 5.00 बजे तक किसी भी कार्यविद्या पर संवैधित सांख्या से समय लेकर सम्पत्ति को देखीरीकार कर सकते हैं। 11. यह बिक्री नोटिस कर्जदारों/गारंटीकर्ता (ओं) बंधकरता(ओं) के लिए विशेष रूप से तथा जनता /सरकारीसाधारण के लिए समानरूप से है। 12. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिपूर्व लेनदारों की वेबसाइट में प्रदान किए गये लिंक यानी <https://www.barodagraminbank.com/sarfaesinotice.php> देखें।

सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन 30 दिनों की बिक्री सचना

कर्जदारों/गारंटीदाताओं/कानूनी वाचियों/बंधकदाताओं को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्गित सभी बकाये का भुगतान करें, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बंधक सम्पत्ति को वर्गित तिथि को बेच दिया जाएगा और अगर कोई अन्य बकाया शेष होगा तो ऐसे उत्तरवाच व्याज, प्रमाणां एवं व्यय के साथ उनसे वसूल किया जाएगा।

दिनांक: 17.03.2021

स्थानः अकबरपर

प्राधिकृत अधिकारी
बड़ौदा य.पी. बैंक